

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—सं.3(4)(2)च.श्रे.कर्म./विविध/अभि/2012/254-71

दिनांक 6-11-7

— आदेश —

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.11/94 दिनांक 26.5.2014 एवं 10.2.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवा निवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनों में से जो कम हो जो कि इस शर्त के अधधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	श्री कम्पा राम	07.8.1953	चिकित्सा विभाग जिला अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री सत्यनारायण ऐरन	26.10.54	शिक्षा विभाग जिला अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
3.	श्री छोटू सिंह	04.03.1955	शिक्षा विभाग जिला अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
4.	श्री मान सिंह	20.4.1956	नगर परिषद सीकर	सीकर	प्रथम बार
5.	श्री भोपाल सिंह परमार	5.7.1956	शिक्षा विभाग जिला सिरोही	सिरोही	प्रथम बार
6.	श्री हरि सिंह	10.6.1956	शिक्षा विभाग जिला चुरु	चुरु	प्रथम बार
7.	श्री गोपाल सिंह सॉलकी	20.1.1955	शिक्षा विभाग जिला बांरा	बांरा	प्रथम बार
8.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	12.4.1953	सनिअ, अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
9.	श्री अब्दूल सलाम खां	13.9.1952	सनिअ, अजमेर	अजमेर	प्रथम बार
10.	श्री हीरा लाल कुमावत	5.9.1952	सनिअ, चित्तोडगढ	चित्तोडगढ	प्रथम बार
11.	श्री रामेश्वर लाल रेगर	10.9.1955	सनिअ, चित्तोडगढ	चित्तोडगढ	प्रथम बार
12.	श्री देवी लाल शर्मा	06.7.1954	सनिअ, भीलवाडा	भीलवाडा	प्रथम बार
13.	श्री हिन्दुडा गुर्जर	12.4.1956	सनिअ, भीलवाडा	भीलवाडा	प्रथम बार
14.	श्री लाल सिंह	12.4.1956	सनिअ, जोधपुर	जोधपुर	प्रथम बार
15.	श्री नसीब खां	31.1.1955	सनिअ, करौली	करौली	प्रथम बार
16.	श्री गोपी लाल छीपा		सनिअ, जालौर	जालौर	प्रथम बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. नियुक्त कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्त कर्मचारियों की सेवा एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-(02)01 संवेतन (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 120782/गृह-10/16 दिनांक 22.12.2016 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें।

*sd-*  
(देवेन्द्र दीक्षित)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर प्रथम/द्वितीय, जोधपुर एवं उदयपुर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन-----
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
6. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली

*716/611117*  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर